न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-87 / 2013 संस्थित दिनांक-02.02.2013 फाई. क.234503002002013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

/ / विरूद्ध 🖊 /

देवानंद पिता मोहनलाल, उम्र—24 वर्ष, निवासी ग्राम कोयलीखापा थाना गढी जिला बालाघाट।

— — — <u>आरोपी</u>

/ <u>निर्णय</u> // (दिनांक 21/02/2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 12.12.2012 को सुबह करीब 08:00 रेवनीनाला ग्राम कोयलीखापा थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर बिना नंबर का वाहन पल्सर मोटर साईकिल चेचिस कमांक एम.डी.2ए11सी.जेड.वाय.6सी.जी. 73007 इंजिन नंबर डी.एच.जेड.सी.सी.जी.70547 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सुमेरसिंह को गंभीर चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि रिपोर्टकर्ता नंदिकशोर ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.12.2012 को गांव का देवानंद बंजारा नई मोटर साईकिल बिना नंबर में सुमेरसिंह गोंड को पीछे बैठाकर विजय कुमार अहिरवार के काम से बैहर जा रहा था, देवानंद गाड़ी को तेज गित व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, तभी करीब 08:00 बजे मोटर सायिकल सिहत रेनवीनाला के पुल की रेलिंग से टकरा दिया, जिससे पीछे बैठा सुमेरसिंह छिटक कर करीब 15 फुट रोड पर गिरा, जिससे उसे चोटें आई देवानंद मोटर सायिकल सिहत पुल से नीचे गिर गया, जिससे उसे भी चोटें

आई। मौके पर उपस्थित लोगों ने दोनों घायलों को उठाकर देवेन्द्र ठाकरे की गाड़ी से थाना लाये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत धारा—279, 337 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुलाहिजा कराया गया। मुलाहिजा रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से धारा—338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। विवेचना दौरान आहत एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती पत्रक की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 12.12.2012 को सुबह करीब 08:00 रेवनीनाला ग्राम कोयलीखापा थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर बिना नंबर का वाहन पल्सर मोटरसाईकिल चेचीस क्रमांक एम.डी.2ए—11सी.जेड. वाय—6.सी.जी.73007 इंजिन नंबर डी.एच.जेड.सी.सी.जी.70547 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत सुमेरसिंह को गंभीर चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित की ?

—:<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :--

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी सुमेरसिंह अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवानंद को जानता है। घटना वर्ष 2012 की सुबह के समय नदी पुल के पास की है। घटना के समय वह आरोपी के साथ उसकी मोटर सायकिल में बैहर तरफ आ रहा था। वह पीछे बैठा था, अचानक पुल के पास उनका वाहन स्लिप होकर गिर गया, जिससे वह दोनों गिर गये और उन लोगों को चोटें आई थी। घटना में उसे सिर पर चोटें आई थी। उन लोगों का मुलाहिजा बैहर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी।

- 06— साक्षी सुमेरसिंह अ.सा.07 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दुर्घटना आरोपी द्वारा मोटर सायकिल को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण हुई थी, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दुर्घटना अचानक हुई थी, दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी तथा उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।
- 07— साक्षी देवेन्द्र अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवानन्द को जानता है। वह आहत सुमेरसिंह को नहीं जानता। घटना पिछले वर्ष की है। देवानंद और उसके साथ एक व्यक्ति मोटर सायिकल से गिर गये थे, तो उसके पास एक व्यक्ति पिकप वाहन में उन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए कह रहा था। पिकप वाहन को लेकर वह घटनास्थल कोयलीखापा की नदी जहाँ पर दो व्यक्ति गिरे थे, गया था। जिसमें एक व्यक्ति आरोपी देवानंद था और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति था। फिर उसके द्वारा पिकअप वाहन में आरोपी देवानंद और दूसरे व्यक्ति को पिकअप वाहन में डालकर गढ़ी शासकीय अस्पताल लेकर गया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—01 नहीं बनाया था। प्रपी—01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रपी—02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पृछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी।
- 08— साक्षी देवेन्द्र अ.सा.०१ से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने

पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पहुँचने पर उसे यह पता चला था कि आरोपी देवानंद अपनी नई पल्सर गाड़ी में आहत सुमेरसिंह को पीछे बैठाकर तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पुल की रेलिंग से टकरा दिया था, उक्त रेलिंग से टकराने से आहत सुमेरसिंह छिटक कर 15 फीट दूर जाकर गिरा था, जिससे उसे चोट आयी थी, देवानंद गाड़ी सिहत पुल से नीचे गिरा था, जिससे उसे मी चोट आयी थी, आरोपी देवानंद एवं आहत सुमेरसिंह को लेकर वह थाने भी गया था, पुलिस ने उसके समक्ष प्रपी—01 का नजरी नक्शा बनाया था, पुलिस ने उसके समक्ष प्रपी—01 का नजरी नक्शा बनाया था, पुलिस ने उसके समक्ष एक नयी लाल रंग की पल्सर मोटरसायिकल बिना नंबर की जिसके पीछे तरफ सोल्ड साईन आटो मोटर बाईक्स एम.पी.50एम.एफ.7209 जप्ती पत्रक प्रपी—02 अनुसार क्षतिग्रस्त हालत में जप्त की थी, उसने पुलिस को प्रपी—03 का कथन दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी देवानंद उसके पहचान का था, इसलिए वह पिकअप वाहन लेकर गया था। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है इस कारण उसके पक्ष में कथन कर रहा है।

- 09— साक्षी देवेन्द्र अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिसवालों के कहने पर उसने प्रपी—01 एवं प्रपी—02 पर हस्ताक्षर कर दिया था, पुलिसवालों ने उसे पढ़कर नहीं बताया था और न उसने पढ़कर देखा, उसने आरोपी को वाहन चलाते हुये नहीं देखा, आरोपी उसके गांव का है इस कारण उसे पहचानता है, पुलिस को उसने कोई कथन नहीं दिया था।
- 10— साक्षी नंदिकशोर अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवानंद एवं आहत सुमेरसिंह को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पहले की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख नहीं करायी थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी—04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—01 नहीं बनायी थी। नजरी—नक्शा प्रपी—01

के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रपी-02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- साक्षी नंदिकशोर अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे 11-जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना समय वह पी.एच.ई. विभाग पांडुतला में मैकेनिक के पद पर कार्यरत था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी देवानंद अपनी नई मोटर साईकिल में आहत सुमेरसिंह को पीछे बैठाकर बैहर आ रहा था, आरोपी देवानंद ने मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रेवनीनाला के पूल की रेलिंग से टकरा दिया था, जिससे सुमेरसिंह छिटककर रोड पर गिर गया था और उसे चोट आयी थी, आरोपी मोटर सायकिल से पुल के नीचे गिर गया था। वह बी.ए. पास है। उसे इस बात की भली-भांति जानकारी है कि बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिये। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने ही थाना गढ़ी में जाकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी-04 लेख कराया था और ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किया था, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी–नक्शा प्रपी–01 बनाया था, इसलिये उसने उस पर हस्ताक्षर किया था, पुलिस ने लाल रंग की मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्ती पत्रक प्रपी-02 के माध्यम से जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किया था, वह आरोपी से मिल गया है इसी कारण घटना की सही जानकारी नहीं दे रहा है तथा उसने पुलिस को प्रपी-05 का कथन दिया था।
- 12— साक्षी नंदिकशोर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय देवानंद को देखने थाना गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह थाना गढ़ी गया तब पुलिस वालों ने उससे दस्तावेज प्रपी—01, 02 व 04 पर हस्ताक्षर करवाया थे, हस्ताक्षर करते समय उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस बात के लिये हस्ताक्षर करवाये गये।
- 13- साक्षी विजय कुमार अहिरवार अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह

आरोपी देवानंद एवं प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना वर्ष 2012 की दिन के 8—9 बजे की ग्राम कोयलीखापा की है। वह अपनी मोटर सायकिल से कुछ काम से ग्राम मुरकुटा जिला मण्डला गया था। उसकी दूसरी नई मोटर सायकिल पल्सर बिना नंबर की देवानंद और सुमेरिसंह लेकर गयए थे। उसे फोन से घटना के बारे में पता चला कि मोटर सायकिल से वह लोग गिर गए थे। वह उन्हें घटनास्थल पर देखने गया था, तब तक उन्हें उठाकर अस्पताल ले जा लिए थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 14— साक्षी विजय कुमार अहिरवार अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय देवानंद गाड़ी चला रहा था। साक्षी के अनुसार वह मौके पर नहीं था, इसलिये नहीं बता सकता कि गाड़ी कौन चला रहा था। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि गाड़ी चलाते हुए किसने ले गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे बाद में पता लगा कि दुर्घटना के समय मोटर सायकिल देवानंद चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे आज घटना की दिनांक व दिन याद नहीं है, वह जब थाने गया था तब पुलिस के द्वारा कहा गया कि देवानंद गाड़ी चला रहा था, उसी आधार पर वह देवानंद मोटर सायकिल चला रहा था वाली बात बता रहा है।
- 15— साक्षी गदिसंह अ.सा.०६ ने कथन किया है वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम कोयलीखापा की दिन के समय की है। घटना के समय आरोपी का अपनी मोटर सायिकल से नाला पुल के पास एक्सीडेंट हो गया था। घटना में उसे तथा मोटर सायिकल पर सवार सुमेरिसंह को चोटें आई थी। घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह घटनास्थल पर घटना के बाद पहुँचा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था तथा एक्सीडेंट कैसे हुआ था उसे

नहीं मालूम।

- 16— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.12.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक सुमेर कमांक 943 द्वारा आहत देवानंद को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर चोट कमांक 01 कंट्यूजन विथ लेसरेटेड वुंड तीन गुणा एक चौथाई इंच लिये, तिरछापन लिये जिसके मध्य भाग पर तीन चौथाई गुणा एक चौथाई इंच लिये लेसरेटेड वुंड पाया जो अनियमित किनारे, लालिमा भूरापन लिये उक्त चोट सिर के अग्रभाग पर दाहिने तरफ होना पाया, चोट कमांक 02—कंट्यूजन जो कि एक गुणा आधा इंच लिये, अनियमित किनारे लिये चेहरे पर बांये तरफ, चोट कमांक 03—एब्रेजन आधा गुणा आधा इंच लिये, उक्त चोट बांये तरफ एंकल ज्वॉइंट पर होना पाया, चोट कमांक 04—कंट्यूजन जो कि तीन गुणा एक इंच लिये जो कि पीठ पर बांये तरफ होना पाया एवं चोट कमांक 05—एब्रेजन जो कि आधा गुणा आधा इंच लिये था जो कि बांये आई लिड(भौ) पर होना पाया।
- 17— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.03 के अनुसार उसके मतानुसार चोट कमांक 01 व 02 के लिए एक्स—रे की सलाह दी गई। शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट कमांक 04 व 05 को छोड़कर सभी चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। सभी चोटें उसके जांच के 12 घंटे के अंदर की है। आहत को देख—रेख हेतु भर्ती किया गया। उसकी रिपोर्ट प्रपी—06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त आहत देवानंद का एक्स—रे कराया गया था, जिसका एक्स—रे कमांक 700 है जो आर्टिकल ए—1 एवं आर्टिकल ए—2 है जिनका परीक्षण किये जाने पर उसने आहत की पीठ की 2, 3, 4 पसली पर अस्थिभंग होना पाया था। आहत के सिर पर अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्स—रे रिपोर्ट प्रपी—07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 18— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.०३ के अनुसार उक्त दिनांक को ही उक्त आरक्षक द्वारा आहत सुमेर को लाये जाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। आहत के शरीर पर चोट कमांक 01—कंट्यूजन विथ एब्रेजन जो कि तीन गुणा एक चौथाई इंच लिये, तिरछापन लिये, अनियमित किनारे, लालिमा एवं भूरापन लिये, सिर के दाहिनी तरफ पैराईटल बोन पर होना पाया था, चोट कमांक 02—कंट्यूजन जो कि तीन गुणा एक इंच लिये, उक्त चोट सिर के पिछले भाग पर ऑक्सीपीटल बोन पर होना पाया, चोट कमांक 03—एब्रेजन जो कि ब्रीच प्रकार का था एक गुणा आधा इंच लिये उक्त चोट चेहरे पर बांये तरफ होना पाया एवं चोट कमांक 04 एब्रेजन जो कि नाक पर होना पाया था।
- 19— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.०३ के अनुसार चोट कमांक ०१ व 02 के लिये एक्स—रे की सलाह दी गयी। शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट कमांक ०१ व ०२ कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। चोट कमांक ०३ व ०४ खुरदुरी वस्तु से आ सकती है। सभी चोटें उसके जांच के 12 घंटे के अंदर की है। आहत को देख—रेख हेतु भर्ती किया गया। उसकी रिपोर्ट प्रपी—08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आहत सुमेर का एक्स—रे कराया गया था, जिसका एक्स—रे कमांक ७०१ है जो आर्टिकल ए—3 है जिसका परीक्षण किये जाने पर उसने अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्स—रे रिपोर्ट प्रपी—09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रपी—06 से लगायत प्रपी—09 की रिपोर्ट झूठी तैयार की गयी है।
- 20— साक्षी दिनेश पॉल अ.सा.04 ने कथन किया है वह दिनांक 12.12. 2012 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक 69/12 धारा—279, 337 भा.द.वि. के अतर्गत सूचनाकर्ता नंदिकशोर की सूचना पर आरोपी देवानंद पिता मोहनलाल बंजारा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया था, जो प्रपी—04 है जिसके बी से बी

भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा नंदिकशोर की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—01 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से एक लाल रंग की पल्सर मोटर सायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी—02 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 21— साक्षी दिनेश पॉल अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को प्रार्थी नंदिकशोर साक्षी देवेन्द्र ठाकरे, गदिसंह के बयान लेखबद्ध किया था एवं दिनांक 15.12.12 को साक्षी सुमेरसिंह तथा दिनांक 23.12.12 को साक्षी विजय के कथन लेख किये थे। उक्त दिनांक को नुकसानी पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार कर नुकसानी पंचनामा प्रपी—10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 02.02.13 को आरोपी देवानंद से ड्राईविंग लायसेंस जप्त किया था, जो प्रपी—11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 29.12.12 को आरोपी देवानंद को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी—12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 22— साक्षी दिनेश पॉल अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मौका—नक्शा प्रपी—01 की कार्यवाही थाने पर बैठकर की थी, उसके द्वारा वाहन की जप्ती घटनास्थल से नहीं की गई थी, उसने साक्षियों के कथन थाने पर बैठकर लेख किया था, किन्तु स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पंचनामा प्रपी—11 में सामने के भाग पर दिनांक 21.02.12 लेख है तथा पीछे दिनांक 21.02.13 लेख किया है। साक्षी के अनुसार गलती से दिनांक 21.02.12 लेख कर दिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि नुकसानी पंचनामा में उसने नुकसानी कितने की थी दर्शाया नहीं है। साक्षी के अनुसार उसने ढाई हजार रूपये नुकसानी दर्ज की थी।

- 23— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत सुमेरसिंह को घोर उपहित कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना के आहत सुमेरसिंह अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना अचानक हुई थी तथा दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। घटना के अन्य साक्षीगण ने घटना में अभियुक्त की किसी लापरवाही अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। प्रकरण में आहत सुमेरसिंह अ.सा.07 के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।
- उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी–अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढ़ंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन पल्सर मोटर साईकिल चेचिस क्रमांक एम.डी.2ए11सी.जेड.वाय.6सी.जी. 73007 इंजन नंबर डी.एच.जेड.सी.सी.जी.70547 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सुमेरसिंह को गंभीर चोट पहुँचाकर घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त देवानंद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। 25-
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बिना नंबर का वाहन पल्सर मोटर 26-साईकिल चेचिस क्रमांक एम.डी.2ए11सी.जेड.वाय.6सी.जी.73007 इंजन नंबर डी.एच.जेड.सी.सी.जी.70547 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे ।
- अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है। 27-उक्त संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबडा) जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही / – (अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

